दैनिक भास्कर रायपुर 26-07-2025

रिश्वत की रकम लौटाते बन गया वीडियो, सब इंजीनियर सस्पेंड

कांकेर के दुर्गूकोंदल का मामला, काम के मूल्यांकन के बदले ठेकेदार से लिए थे रुपए, सीईओ ने की कार्रवाई

भास्कर न्यूज | कांकेर/भानुप्रतापपुर

दुर्गूकोंदल के जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। इसमें वह रकम लेन देन करते दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का असलियत है कि सब इंजीनियर के पास जब ठेकेदार बचे हुए कार्य का मूल्यांकन कराने जाता तो वह उससे गाली गलौच करता था, जिससे परेशान होकर वह इस बार उसका गाली गलौच करते वीडियो बनाना चाहता था। जब वीडियो बनाया गया, तब इंजीनियर पूर्व में मूल्यांकन के एवज में ली गई रकम का वापस करने लगा और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।

दरअसल, दुर्गूकोंदल में मावा मोदोल लाइब्रेरी भवन मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। इसके लिए दुर्गूकोंदल के महिला एवं बाल विकास विभाग के भवन का मरम्मत किया जाना था। इसके कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत दुर्गूकोंदल को बनाया गया था, लेकिन जनपद में पदस्थ सब इंजीनियर बुधपाल वासनिक ने अपनी सेटिंग कर उक्त कार्य संबलपुर के ठेकेदार संदीप शुक्ला को दे दिया। ठेकेदार ने उक्त भवन में पेंट, पुट्टी, टाइल्स, रेक, सेक्शन व मरम्मत कार्य किया। इसके साथ ही सब इंजीनियर से बार-बार मूल्यांकन करने कहता रहा ताकि उसका पेमेंट हो सके।

इंजीनियर को कांकेर किया अटैच



वीडियो सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी ने तत्काल एक्शन लेते उसे सस्पेंड कर दिया। 24 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि इंजीनियर बुधपाल वासनिक द्वारा मावा मोदोल लाइब्रेरी मरम्मत कार्य में ठेकेदार से रकम लेने का वीडियो मीडिया में आने से यह कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियर को सस्पेंड कर उसे कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांकेर में अटैच किया जाता है।

बच्चे के साथ स्कूल में घुसी हथिनी, हरेली की छुट्टी थी तो हादसा टला

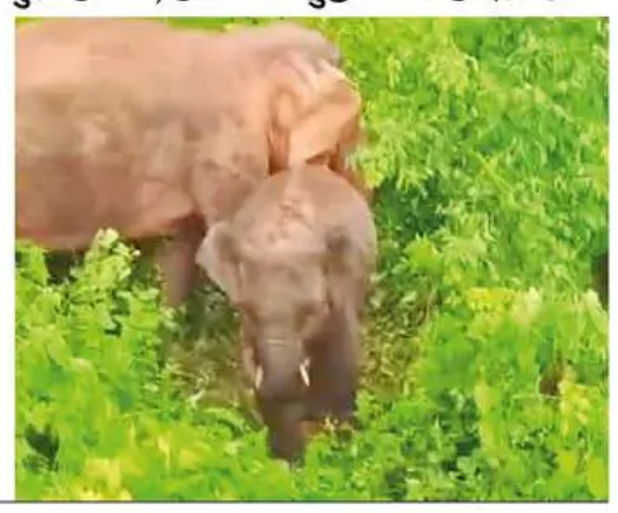

पत्थलगांव | गुरुवार की दोपहर को एक हथनी अपने शावक के साथ लुड़ेग के हायर सेकेंड्री स्कूल कैंपस में घुस गई थी। गुरुवार को हरियाली की छुट्टी थी, इसलिए किसी भी तरह की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। एक शिक्षक की बाइक स्कूल कैंपस में खड़ी थी, जिसे हथनी ने कुचलकर तोड़ दिया है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों में खौफ का माहौल है। लुड़ेग का हायर सेकेंड्री स्कूल जंगल के किनारे स्थित है। इससे पहले भी स्कूल के करीब हाथियों का दल पहुंच चुका है।

न्यूज ब्रीफ

ट्रेलर ने बाइक सवार दो ग्रामीणों को कुचला, दोनों की मौत, चक्काजाम

कोरबा| स्टेट हाईवे पर सेमीपाली के पास तेजरफ्तार ट्रेलर के चालक ने बाइक सवार दो ग्रामीणों को कुचल दिया। घटना में दोनों लोगों की मौत हो गई। आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना से गुस्साई भीड़ ने मौके पर चक्काजाम कर दिया। दुर्घटना बिलासपुर-हाटी स्टेट हाईवे पर उरगा थाना अंतर्गत सेमीपाली के पास शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे हुई। जहां पर उरगा के समीपस्थ गांव बरीडीह निवासी अयोध्या पटेल व पुरूषोत्तम पटेल नामक दो ग्रामीण किसी काम से बाइक में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान मार्ग पर चल रही तेजरफ्तार ट्रेलर ने उन्हें चपेट में लेते हुए कुचल दिया। बाइक के परखच्चे उड़ गए और गंभीर चोट लगने से दोनों ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई।

मवेशी से टकराकर गिरा बाइक सवार अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

अंबिकापुर| कोरिया जिले के बैकुंठपुर सलका के पास मवेशी से टकराकर एक बाइक सवार घायल हो गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ग्राम टेंगनी बैकुंठपुर निवासी 45 वर्षीय रामजीत गुरुवार की शाम को बाइक से बैकुंठपुर जा रहा था। सलका के पास सड़क में अचानक मवेशी आ गए और वह टकरा गया। हादसे में रामजीत घायल हो गया। उसे बैकुंठपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

ट्रेलर में लगाया पड़ोसी की गाड़ी का नंबर, शिकायत के बाद हुआ गिरफ्तार

रायगढ़ | एक ट्रेलर मालिक अपनी ट्रेलर में पड़ोसी के ट्रेलर के नंबर प्लेट का उपयोग करते पकड़ा गया है। आरोपी ने अपनी ट्रेलर का नंबर निकाल दिया था। कोतरा रोड पुलिस ने शिकायत के बाद दूसरे की ट्रेलर के नंबर प्लेट का उपयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतरा रोड पुलिस के अनुसार खरसिया मदनपुर निवासी ट्रांसपोर्टर व ट्रेलर मालिक नंदन झा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 डी 5772 है, जिसे वह खुद चलाता है। उसने शिकायत में बताया है कि उसके पड़ोसी अनूप तिवारी ने उसकी जानकारी और अनुमति के बिना उसी नंबर को अपने वाहन में लगा लिया।

पुलिस को देख तीन युवक नदी में कूदे, एक की मौत

भास्कर न्यूज | बालोद

गुंडरदेही में गुरुवार शाम को पुलिस की दबिश के दौरान जुआ खेलते पकड़े जाने के डर से तांदुला नदी में तीन युवक कूद गए। इस घटना में दुर्गेश सोनकर की मौत हो गई। तांदुला नदी से युवक के शव को शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे बाहर निकाला गया। वहीं दो युवक सुरक्षित बाहर निकल गए थे। इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताकर तीन मांगों को लेकर मृतक के परिजनों व वार्डवासियों ने शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे से लेकर देर शाम तक धमतरी चौक में चक्काजाम कर दिया। हल्की से मध्यम बारिश के बीच चक्काजाम कर रहे लोग छाता लेकर डटे रहे। परिजनों व वार्डवासियों की मांग थी कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। मुआवजा राशि भी दें। इसके अलावा पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाए। जिसके कारण से युवक को नदी में कूदना पड़ा। इधर 5 लाख रुपए मुआवजा देने और नगर पंचायत में नौकरी देने का आश्वासन मिलने के बाद शाम 6:30 बजे चक्काजाम खत्म हुआ। गुरुवार शाम को गुंडरदेही के महावीर मुक्तिधाम के पास कुछ युवक तांदुला नदी किनारे ताश खेल रहे थे। इसी दौरान जुआ खेलने की सूचना पर गुंडरदेही पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंची। पुलिस को देख तीन युवक घबराकर भागे और नदी में छलांग लगा दी।

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में लेटलतीफी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा...

आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट के विकास में हो रही लेटलतीफी को लेकर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीजे रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने केंद्र व राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। सीजे सिन्हा ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं। बिलासपुर का भाग्य कभी तो जागेगा। राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी ही सरकार है, फिर भी यह हाल है। अधिकारियों के बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं कि वे कुछ करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने प्रदेश मुख्य सचिव और रक्षा मंत्रालय के सचिव से अगली सुनवाई में शपथ पत्र के साथ काम की प्रगति की जानकारी मांगी है।

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट, 3सी से 4 सी कैटेगरी में अपग्रेड करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा, महानगरों के लिए सीधी उड़ान की मांग करते हुए दो जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। सालों से इस पर सुनवाई हो रही है। यहां तक कि एयरपोर्ट को



फोटो में गाड़ी दिख रही, कुछ लोग दिख रहे, काम कहां हो रहा है?

राज्य सरकार की ओर से जवाब में कुछ फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए और दावा किया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ा कार्य प्रगति पर है। लेकिन तस्वीरें देखकर चीफ जस्टिस ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा- क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? एक गाड़ी खड़ी है, पीछे दो-चार लोग खड़े हैं। काम कहां हो रहा है? जरा हमें भी दिखाइए।

शुरू हुए करीब चार साल पूरे चुके हैं, लेकिन काम की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। रक्षा मंत्रालय से जमीन का हस्तांतरण समेत कई प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं। शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव और एडवोकेट संदीप दुबे ने एयरपोर्ट के मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं।

डिफेंस ने दे दी थी मंजूरी, फिर क्यों अटका काम?

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही 286 एकड़ जमीन पर रनवे विस्तार व अन्य कार्यों की अनुमति राज्य सरकार को दे चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब अनुमति मिल गई, तो अब क्या अड़चन है? इस पर बताया गया कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का कार्य शुरू किया जाए।

पाक्सो के आरोपी को बरी करने के खिलाफ अपील खारिज, सबूत नाकाफी: हाईकोर्ट

भास्कर न्यूज | बिलासपुर

पॉक्सो, एससी/एसटी और आईपीसी की धाराओं में आरोपी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक युवक पर पीछा करने, अश्लील टिप्पणियां और आई लव यू कहकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस संजय एस अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। पीड़िता ने कुरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि स्कूल से लौटते वक्त आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पहले भी कई बार उसे परेशान करता था। उस पर टिप्पणियां करने के साथ उसे आई लव यू बोला। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-डी, 509, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। धमतरी के स्पेशल कोर्ट ने 27 मई 2022 को आरोपी को सभी धाराओं से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी।

धार्मिक पोशाक पहने अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र

आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए की जा रही व्यवस्था

भास्कर न्यूज | दुर्ग

जिला प्रशासन ने रविवार को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। धार्मिक पोशाक पहनकर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ढाई घंटे पहले पहुंचना होगा, जिससे उनकी जांच अच्छे से की जा सके। परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 10.30 बजे बंद हो जाएंगे।

भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (भेल) ने सभी सेंटर्स पर जैमर लगाने की व्यवस्था की है। जैमर के साथ एक कर्मचारी भी तैनात रहेगा। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों में एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। इसके साथ हर सेंटर पर तीन पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इनमें दो पुलिसकर्मी मैटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की जांच करेंगे। जबकि तीसरे पुलिसकर्मी की ड्यूटी परीक्षा केंद्र के भीतर रहेगी। जानकारी के मुताबिक 70 केंद्रों में करीब ढाई सो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। जिले में भर्ती परीक्षा में 25496 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से 1.15 बजे तक रहेगा। परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने गाइड लाइन जारी की है। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 2.70 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि व्यापम के माध्यम से 27 जुलाई 2025 को आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में पूरे राज्य में लगभग 2 लाख 70 हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

13 आदिवासी बालिकाओं से मारपीट का आरोप कलेक्टर से अधीक्षिका पर कार्रवाई की मांग

भास्कर न्यूज | गरियाबंद

गरियाबंद जिले के आदिवासी कन्या आश्रम में शुक्रवार को एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पदस्थ अधीक्षिका शिवानी मिश्रा पर 13 आदिवासी बालिकाओं के साथ मारपीट और धमकाने का गंभीर आरोप लगा है।

पीड़ित बालिकाएं विशेष पिछड़ी जनजाति (कमारी/भुजिया) से हैं। घटना के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी अधीक्षिका पर एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर तत्काल निलंबन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक, अधीक्षिका ने छात्राओं को लकड़ी की बल्लियों से पीटा और उन्हें एक कमरे में बंद कर यह चेतावनी दी कि घटना की जानकारी किसी को न दें। छात्राओं को अपने माता-पिता की कसम तक खिलाई गई। इस अमानवीय व्यवहार से छात्राएं डरी, सहमी और मानसिक रूप से परेशान हैं। घटना के विरोध में आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो उग्र आंदोलन होगा। साथ ही यह मांग भी की गई कि छात्राओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाए और आश्रम की व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच हो। इधर, छात्राएं इस घटना से बेहद डरी हुई हैं और कई छात्राएं मानसिक रूप से असहज स्थिति में हैं।

संचालनालय अनुसंधान सेवायें
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र./सं.अ.से./निविदा/2025/1182 रायपुर, दिनांकः 23/07/2025

// निविदा सूचना //

इस कार्यालय की निविदा क्रमांक Tender Notice No./DRS/Tender/2025 / 876 Raipur Dated 24/06/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए Site visit & Inspection 01.08.2025, 11 am - 4.30 pm को रखी जाती है । निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 08.08.2025 को दोपहर 2 बजे तक** जमा एवं **निविदा खोलने का समय अपरान्ह 3 बजे, तिथि 08.08.2025** रखा गया है । शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी ।

संचालक
अनुसंधान सेवायें

सं.-44689

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) - 495009
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.), भारत

क्र.सं. 584 / प्रवेश / शैक्षणिक/25 बिलासपुर, दिनांक- 25.07.2025

M.Tech (मास्टर ऑफ़ टेक्नोलॉजी) शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रवेश सूचना

गेट (GATE) एवं नॉन-गेट (Non-GATE) अभ्यर्थियों से (i) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, (ii) सूचना प्रौद्योगिकी, (iii) संरचनात्मक इंजीनियरिंग, (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, (v) सीएडी / सीएएम और रोबोटिक्स, (vi) केमिकल इंजीनियरिंग, (vii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग, (viii) जल संसाधन और पर्यावरण इंजीनियरिंग, (ix) जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विषयों में एम-टेक. (M.Tech) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ggu.ac.in** पर दिए गए विवरण के अनुसार एम. टेक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान की रसीद के साथ भरे हुए आवेदन पत्र (वेबसाइट **www.ggu.ac.in** में उपलब्ध लिंक) आवेदन शुल्क (रु.500/- सामान्य / ईडब्ल्यूएस / अपिव वर्ग के लिए। 300/- अजा/अजजा/दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से (सामान्य निर्देशों में विनिर्दिष्ट) 13 अगस्त, 2025 को या उससे पहले जमा किया जाना है, नॉन-गेट श्रेणी के तहत प्रवेश, प्रवेश परीक्षा / योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा (परिस्थिति अनुसार)।

वैध गेट स्कोर वाले उम्मीदवार का प्रवेश गेट स्कोर के आधार पर होगा। एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार जल संसाधन और पर्यावरण इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अलावा गेट स्कोर वाले अन्य उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। इस विज्ञापन के माध्यम से प्रवेश वैध सीसीएमटी-2025 काउंसलिंग के पूरा होने के बाद सीटों की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय काउंसलिंग होगी।

अभ्यर्थी अधिक जानकारी और अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ggu.ac.in/ का नियमित अवलोकन करें। कुलसचिव (कार्यवाहक)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

ई-नीलामी सूचना क्र.: COM/G/R/Catg Stall/2025 दिनांक: 21.07.2025

क्र.	कैटलॉग संख्या	ई-नीलामी विवरण	नीलामी तिथि
1	COM-CATG-R-25-7	रायपुर मंडल के 17 स्टेशनों (दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा-नेवरा, भिलाई, भिलाई नगर, कुम्हारी, लाटाबोर, रिसामा, गुण्डरदेही, सिलयारी, दगोरी, मांढर, लखोली, बिल्हा, सरोना, दाधापारा, मंदिर हसौद) के 17 केटरिंग स्टॉलों के लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से निविदा।	दिनांक: 05.08.2025 नीलामी समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 13:10 बजे तक

सभी ई-नीलामी अधिसूचनाओ का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया है।
PR/R/SR.DCM/PC/112

कृते वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर

South East Central Railway @secrail

पंजाब नैशनल बैंक
सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 12/08/2025
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तीयों के प्रतिभूतिकरण व पूर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियो की विक्रय "जहाँ है जैसा है" "जो भी है जैसा भी हैं" नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित सपत्तिया की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) ईएमडी (लाख में) बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	**उधारकर्ता: श्री एडविन फर्नांडीज, सह-उधारकर्ता: श्री लुईस फर्नांडीज,** पता - रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर 1, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001, **शाखा - सुंदर नगर, रायपुर (164010), संपर्क: श्री अजय पटेल, 9425017828**	**आवासीय मकान -** खसरा नं 597/2, 598/2 (भाग), पीसी नं 108/38, विनायक गार्डन, ब्लॉक 65, मौजा - शिवानंद नगर, सेक्टर 3, यतियातन वार्ड नं 4, **गोंदवारा,** रायपुर, छत्तीसगढ़ में **क्षेत्रफल-800 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री एडविन फर्नांडीज पिता श्री लुइस फर्नांडीज । सीमाएं:- उत्तर: विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण: विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि. भौगोलिक निर्देशांक - 21.274860,81.625635	1) **07/08/2021** 2) **रू 15,13,400.04** + दिनांक 07-08-2021 से ब्याज प्रभावी 3) **10-01-22** को सांकेतिक कब्जा	**रू 15.81 लाख** **रू 1.59 लाख**
2	**उधारकर्ताओं: श्रीमती पुष्पा राठौड़** पति श्री ललित राठौड़ एवं **श्री राहुल राठौड़** पिता श्री ललित राठौड़, दोनों का पता - पीएवी प्रोविजन स्टोर्स के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर-1, नीम बद्री, रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, खमतराई, रायपुर (छ.ग), 492001, **शाखा - सुन्दर नगर,रायपुर (164010) संपर्क: श्री अजय पटेल, 9425017828**	**आवासीय संपत्ति -** खसरा नं 435/15 (भाग), मौज़ा- खमतराई, प.ह नं 108/38, वार्ड नं 07, वीर शिवाजी वार्ड, सेक्टर-1, **शिवानंद नगर,** आर.आई.सी.- रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल-1000 वर्ग फुट** पर स्थित अचल संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती पुष्पा राठौर पति श्री ललित राठौर । सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य का मकान, पूर्व: देवांगन का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान। भौगोलिक निर्देशांक - 21.276278, 81.631752	1) **18.09.2021** 2) **रू 6,38,998.86** + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3)**18.04.22** को सांकेतिक कब्जा	**रू 22.46 लाख** **रू 2.25 लाख**

संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय: 08.08.2025 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं
बयाना राशि जमा करने की तिथि व समय: 11.08.2025 प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :श्री दीनानाथ बागे, सीओ-एसएएम रायपुर, 9304614766

नोटः- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोटः- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी. 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज़ ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमे 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को **ई-नीलामी दिनांक 12/08/2025 व समय सुबह 11.00 बजे** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री **ई-नीलामी दिनांक 12/08/2025 को सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए The Hitvada दिनांक 26.07.2025 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा.

नोटः- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वंय बनाना हैं। जिसे बनाने में न्युनतम 2 दिन का समय लगता हं। अतः बोलीकर्ता से निवेदन हं कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना ले।

दिनांकः 26.07.2025, स्थानः रायपुर प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा(10009), ब्लॉक बी-1, पुजारी चेंबर्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.) मो. 8458805424, 8889375554

विक्रय नोटिस

परिशिष्ट-IV क (नियम 8(6) का परन्तुक देखें)

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिसा आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी हैं, का भौतिक कब्जा भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्न वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से भारतीय स्टेट बैंक प्रतिभूत लेनदार को निम्नवर्णित तालिका के कॉलम "D" में वर्णित बकाया राशि एवं उस पर देय ब्याज व अन्य खर्चों की वसूली हेतु दिनांक **12.08.2025 (विक्रय की तारीख) को समय प्रातः 11.00 से सायं 4 बजे** तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) बेचा जाएगा.

क्र. (A)	ऋणी / जमानतदारों का नाम (B)	संपत्ति का विवरण एवं टाइटल धारक का नाम (C)	बकाया राशि जिस हेतु संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है एवं मांग सूचना पत्र दिनांक (D)	आरक्षित मल्य ईएमडी (धरोहर राशि) वृद्धि दर
1	**उधारकर्ता- मेसर्स किशोर शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड, निदेशकों एवं जमानतदारों : (1) श्री किशोर रेलवानी (2) श्री मुरली रेलवानी (3) श्री गिरीश रेलवानी**	संपत्ति का स्वामित्व: श्री किशोर रेलवानी, श्री मुरली रेलवानी एवं श्री गिरीश रेलवानी। संपत्ति का समस्त भू-भाग, भूमि एवं भवन स्थित प्लॉट/मकान ए-24 सेक्टर-1, शंकर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रायपुर, तहसील एवं जिला- रायपुर (छ.ग.), क्षेत्रफल- 4365.36 वर्गफीट , पंजीकरण उप जिला- रायपुर एवं जिला- रायपुर (छ.ग.) के अंतर्गत। सीमाएँ : उत्तर - मकान नंबर ए-23, दक्षिण - मकान नंबर ए-25, पूर्व - सड़क, पश्चिम - गली **(भौतिक कब्जा) (15 दिवसीय सूचना)**	₹6,74,92,292.00 दिनांक 29.12.2023 को एवं दिनांक 30.12.2023 से ब्याज+ अन्य विधिक खर्च प्रभावी	₹ 5,40,00,000 ₹ 54,00,000 ₹ 1,00,000

*नोट: उक्त संपत्ति की विक्रय प्रक्रिया माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के समक्ष लंबित सुरक्षा आवेदन क्रमांक 24/2025 (मेसर्स किशोर शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी। इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मो